कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक :– राजस्व / 2026 / 28 दिनांक :– 18/3/2026

—:: आदेश ::—

ग्राम हरिपुरा के जनउपयोगी रास्ता जो ग्राम हरिपुरा बायपास से हरिपुरा के खेतों में होता हुआ, ग्राम तालछी की सीमा तक सांगोद सडक तक जा रहा है। जो कि आराजी माल ग्राम हरिपुरा के खसरा नंबर 326, 327, 324, 216, 282, 283, 284, 321, 148, 197, 149, 156, 194, 143, 140, 139, 75, 78, 138, 42, 41, 43, 44, 45 में से होकर गुजरता है। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्र क्रमांक / राजस्व / 2026 / 1809 दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से उक्त कदीमी रास्ते को भू–अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु अनुशंषा सहित प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत किया गया।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ते में आने वाले ग्राम हरिपुरा के खसरा नंबर 326, 327, 324, 216, 282, 283, 284, 321, 148, 197, 149, 156, 194, 143, 140, 139, 75, 78, 138, 42, 41, 43, 44, 45 के काश्तकारों द्वारा उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव में हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार उक्त रास्ता कई वर्षों से आवागमन के रूप में उपयोग लिया जा रहा है एवं मौके पर सुचारू रूप से रास्ता चल रहा है। साथ ही उपरोक्त कदीमी रास्ता का सार्वजनिक रूप से उपयोग – उपभोग सभी खातेदारों द्वारा किया जा रहा है। काश्तकारों की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खातेदारी भूमि तक जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होनें तथा आमजन की सुविधा, अत्यांतिक आवश्यकता होने से उक्त कदीमी रास्ता को भू–अभिलेख में दर्ज किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण, आवश्यक, उचित विधिसंगत एवं लोकहित में होना बताया है।

अतः राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं क्रमांक 4.3 (17) राज–6 / 2021 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में चालु स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही के संबंध में उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार (भू.अ.) सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जवाब के आधार पर वृहद्ध लोकहित में निम्न खसरान के सम्मुख उल्लेखित रकबों में से अंकित रकबा की भूमि खातेदारी की आराजी में से कम करते हुए उसी खातें में प्रस्ताव के सलंग्न मौका फर्द दिनांक 13.02.2026 में अंकित नजरी नक्शानुसार गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते है। सलंग्न मौका फर्द दिनांक 13.02.2026 इस आदेश का भाग माना जाए। तहसीलदार सांगोद निम्नलिखित सूचि के कॉलम संख्या 5 में प्रस्तावित रकबे

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

को संबंधित खातेदार की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर उक्त आदेश की नियमानुसार अनुपालना करते हुए भू–अभिलेख में अमल दरामद करें एवं बाद अमल दरामद रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

माल ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म	रकबा	किस्म
1.	327	0.04	चाही I I I	0.04 में से 0.0280हैक्ट	गै.मु.रास्ता
2.	321 / 698	0.06	बारानी I	0.06 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
3.	321	0.06	बारानी I	0.06 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
4.	216	0.10	गै.मु.पठार	0.10 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
5.	148	3.30	चाही I I I	3.30 में से 0.0896 हैक्टर दक्षिणी	गै.मु.रास्ता
6.	197	2.53	चाही I I I	2.53 में से 0.08 हैक्टर उत्तरी	गै.मु.रास्ता
7.	149	3.04	चाही I I I	3.04 में से 0.0560 हैक्टर दक्षिणी	गै.मु.रास्ता
8.	194	0.03	चाही I I I	0.03 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
9.	196	2.12	चाही I I I	2.12 में से 0.0688 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
10.	156	0.03	चाही I I I	0.03 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
11.	143	0.28	चाही I I I	0.28 में से 0.08 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
12.	140	0.90	चाही I I I	0.90 में से 0.0560 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
13.	139	2.80	चाही I I I	2.80 में से 0.0372 उत्तरी	गै.मु.रास्ता
14.	78	1.30	चाही I I I	1.30 में से 0.0320 हैक्टर पश्चिमी	गै.मु.रास्ता
15.	75	2.89	चाही I I I	2.89 में से 0.0420 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
16.	138	0.81	चाही I I I	0.81 में से 0.0204 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
17.	79	2.44	चाही I I I	2.44 में से 0.0480 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
18.	42	1.17	बारानी I	1.17 में से 0.0160 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
19.	784 / 45	1.02	बारानी I	1.02 में से 0.0240 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
20.	45	0.02	बारानी I	0.02 में से 0.0176 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
21.	43	1.26	बारानी I	1.26 में से 0.0360 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
22.	44	2.26	बारानी I	2.26 में से 0.0160 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
23.	41	2.31	बारानी I	2.31 में से 0.0144 हैक्टर	गै.मु.रास्ता
24.	78	1.30	चाही I I I	1.30 में से 0.02 हैक्टर दक्षिणी	गै.मु.रास्ता
25.	76	1.57	चाही I I I	1.57 में से 0.02 हैक्टर दक्षिणी	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

क्रमांक / राजस्व / 2026 / 28

दिनांक :– 18/3/2026

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय(भू0अभि0) कोटा को सूचनार्थ।
2. तहसीलदार(भू0अभि0) सांगोद।
3. संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी।
4. कार्यालय प्रति।

उपखण्ड अधिकारी सांगोद